

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 5039 / अकादमी / संबद्धता / 2020

भोपाल, दिनांक 3/6/2020

अधिसूचना

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 1131/34आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 01-06-2020 द्वारा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबद्ध सामान्य पाठ्यक्रम संचालित महाविद्यालयों की सत्र 2020-2021 हेतु पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों की निरंतरता तथा स्नातक कक्षाओं के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय वर्ष के लिए विश्वविद्यालय में जमा करने हेतु निम्नानुसार तिथि निर्धारित की जाती है :-

क्र.	सामान्य पाठ्यक्रम	निर्धारित अंतिम तिथि
1	सामान्य पाठ्यक्रमों की सत्र 2020-21 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता, पूर्व से संचालित विषयों की अंतरवर्ती कक्षाओं की अस्थाई संबद्धता हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि	05-06-2020
2	विलम्ब शुल्क के साथ	10-06-2020

NOTE :-

- इसके अनुपालन में निर्देशित किया जाता है कि विभाग द्वारा नवीन अशासकीय महाविद्यालय, नवीन सकाय तथा नवीन विषय आरंभ किए करने के लिए सत्र 2020-2021 हेतु जारी किए गये एवं जारी किए जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्रों के समस्त आदेश एवं आगामी सत्र 2021-22 से लागू होंगे। इसी अनुक्रम में रिखू हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही भी कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में लागू लाकडाउन पूर्णतः समाप्त होने तथा प्रदेश में आवागमन सुचारु-रूप से संचालित होने के उपरांत ही की जावेगी तथा रिखू आवेदनों पर लिए जाने वाले निर्णयों के आधार पर जारी किए जाने वाले समस्त आदेश आगामी सत्र 2021-22 से ही लागू होंगे। इस संबंध में मार्गदर्शिका जारी की गई है।
- महाविद्यालय MP-Online के माध्यम से आवेदन करने की अंतिम तिथि पश्चात, पांच दिवस के अन्दर संपूर्ण आवेदन पत्र (Part-A) मय संलग्नकों प्रस्तुत दस्तावेजों को तालिकानुसार फ्लेग के साथ प्राचार्य / संस्था के सचिव से अनिवार्य रूप से सत्यापित करवाकर महाविद्यालय की सील सहित विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।
- नवीन आवेदित महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश तभी दिया जावे जब कि महाविद्यालय विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त की हो। किसी भी महाविद्यालय के द्वारा विश्वविद्यालय की संबद्धता प्राप्त किये बगैर विद्यार्थियों को प्रवेश देना है तो इसकी संपूर्ण जबाबदारी संबंधित महाविद्यालय / संस्था की होगी। विश्वविद्यालय की कोई जबाबदारी नहीं होगी। ऐसे दोषी पाये गये महाविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रमों की संबद्धता रद्द करने की कार्यवाही की जावेगी। आनलाईन आवेदन नहीं करने पर अस्थाई संबद्धता / स्थाई संबद्धता / नवीनीकरण / सीट संख्या में वृद्धि प्रकरण पर कार्यवाही नहीं की जावेगी। जिसकी संपूर्ण जबाबदारी संबंधित महाविद्यालय / संस्था की होगी।
- महाविद्यालयों से प्राप्त किया जाने वाली शुल्क पूर्व बकाया शुल्क का विवरण लेखा www.bu.bhopal.ac.in पर प्रदर्शित किया गया है। शुल्क संबंधी पत्रों का महाविद्यालयों द्वारा प्रतिक्रिया नहीं की जावे।

(डॉ. बी. भारती)

कुलसचिव

भोपाल, दिनांक 3/6/2020

पृ. क्र. 5040 / अकादमी / संबद्धता / 2020

प्रतिलिपि :

- बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से संबद्ध समस्त शास. एवं अशा. महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं डीन की ओर पालनार्थ।
- राज्यपाल के अवर सचिव राजभवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- अवर सचिव उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय संचालक राष्ट्रीय अध्यापक परिषद श्यामला हिल्स मानस भवन, भोपाल
- संचालक तकनीकी शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल
- उपकुलसचिव परीक्षा / गोपनीय विभाग बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
- कुलपतिजी / कुलसचिवजी के निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित
- वेबसाइट प्रभारी, उपरोक्त अधिसूचना को वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- संबंधित नस्ती।

उप-कुलसचिव, अकादमी